

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम म.प्र.

वित्तीय वर्ष 2025-26 किराये के वाहन प्रदाय हेतु

निविदा शर्तें

भाग-1

- 1 निविदा प्रपत्र म0प्र0शासन की वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> से डाउनलोड करे।
- 2 यह निविदा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल म0प्र0 अंतर्गत किराये का वाहन (वाहन एवं वाहन चालक) हेतु आमंत्रित की जा रही है।
- 3 किराये का वाहन (वाहन एवं वाहन चालक) हेतु निविदा को निर्धारित प्रारूप में वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> पर ऑन लाईन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना है।
- 4 निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण निम्नानुसार है -

क्रं	विवरण	दिनांक	समय
01	Published Date	https://mptenders.gov.in पर प्रकाशन दिनांक व समय से	
02	Document Sale Start Date		
03	Bid Submission Start Date	26.02.2026	
04	Bid Submission End Date	11.03.2026	
05	Bid Opening Date	13.03.2026	

- 5 **प्रक्रिया-1:** निविदा प्रपत्र कर मूल्य रूपये राशि 500/- (रूपये पांच सौ मात्र) तथा अमानत की राशि रूपये 2000/- (रूपये दो हजार मात्र) है, जिसे ऑनलाईन जमा किया जाना है। जमा की दोनों रसीदों को निविदा के साथ अपलोड करना है। उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र की मूल्य एवं सुरक्षा निधि राशि प्राप्त होने पर ही फर्म को प्रक्रिया -2 के लिये योग्य माना जायेगा। जमा की गई ऑनलाईन अमानत की राशि निविदा उपरांत निविदाकार को वापस कर दी जावेगी। चयनित निविदाकार को कार्य आदेश जारी होने के पूर्व रू.500/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध कर सत्यंकार की राशि के लिये भाग-2 में दर्शित तालिका अनुसार प्रत्येक के लिए राशि 10000/- (रूपये दस हजार मात्र) का एफ.डी.आर. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम के पक्ष में जारी कराकर जमा कराना होगा अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी। वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल कार्यालय नर्मदापुरम में जमा सत्यंकार की राशि निविदा की अवधि पूर्ण होने के उपरांत निविदाकार को वापस कर दी जावेगी। म0प्र0 भंडार तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) के नियमानुसार अमानत व सत्यंकार की राशि से सूक्ष्म एवं लघु उद्यम व स्टार्टअप को छूट रहेगी।
- 6 **प्रक्रिया -2:** तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया 1 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही तकनीकी निविदा देखी जावेगी। तकनीकी निविदा के भाग-2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज स्केन कर अपलोड किये जाने है।
- 7 **प्रक्रिया -3:** तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया 2 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। तकनीकी निविदा में भाग-2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज स्केन कर अपलोड किये जाने है। वित्तीय निविदा को एक्सेल शीट में ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना है।

(गौरव शर्मा)

भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी
नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल

भाग-2 तकनीकी निविदा की अर्हकारी शर्त

1. यह निविदा किराये के वाहन (वाहन एवं वाहन चालक) के लिये है।
 2. वाहन चालक निविदाकार का रहेगा, जिसके पास नियमानुसार 04 वर्ष का ड्राइविंग लाईसेंस होना आवश्यक है। वाहन चालक का वेतन भत्ता एवं अन्य व्यय निविदाकार द्वारा वहन किये जायेंगे।
 3. निविदाकार के पास वाहन का रजिस्ट्रेशन (पंजीयन), बीमा, टेक्सी परमिट (वाहन के व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र (पी.यू.सी.), वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र एवं वाहन चालक के पास व्यवसायिक लाईसेंस होना अनिवार्य है।
 4. वाहन के स्वामित्व आदि में किसी प्रकार के विवाद का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।
 5. टोल टेक्स एवं अन्य व्यय निविदाकार को वहन करना होगा। डीजल के बिलों का भुगतान पेट्रोल पम्प पर निविदाकार द्वारा किया जायेगा। एवं उसका एक मुस्त मासिक भुगतान निविदाकार को किया जावेगा।
 6. वाहन के स्थानीय या मुख्यालय के वाहन के उपयोग में न्यूनतम दूरी की बंधन नहीं रहेगी।
 7. वाहन की लॉग बुक में प्रतिदिन मीटर रीडिंग आदि का विवरण भरने का उत्तरदायित्व वाहन उपयोगकर्ता का होगा।
 8. वाहन का पंजीयन वर्ष 2022 से पुराना नहीं होना चाहिए। टायर ट्यूब, बैटरी अच्छी हालत में होना चाहिए। माईलोमीटर हमेशा चालू हालत में होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
 9. वाहन खराब होने की स्थिति में निविदाकार को तुरंत दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी। अतिरिक्त लगाये गये वाहन का भुगतान निविदाकार को वहन करना होगा।
 10. वाहन की नियमानुसार किलोमीटर के आधार पर सर्विसिंग कार्य निविदाकार द्वारा कराया जावेगा।
 11. वाहन किराया का भुगतान माह की समाप्ति के पश्चात बजट उपलब्धता के आधार पर अतिशीघ्र किया जावेगा।
 12. वाहन चालक 24 घण्टे के लिये कार्य पर उपलब्ध होगा। इस हेतु 2 चालकों की व्यवस्था निविदाकार द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। वाहन चालक की व्यवस्था निविदाकार द्वारा की जायेगी।
 13. निविदाकार के पास जी.एस.टी. पंजीयन संबंधी दस्तावेज होना अनिवार्य है साथ ही निविदा में अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
 14. वाहन चालक की उपस्थिति एवं वाहन के रखरखाव की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
 15. वाहन की लॉगबुक के प्रमाणीकरण के आधार पर ही वाहन के देयकों का भुगतान किया जावेगा। एवं वनमण्डल कार्यालय द्वारा वाहन के किराये के भुगतान के समय वाहन का पंजीयन टेक्सी कोटा का होना अनिवार्य है।
 16. वाहन की दुर्घटना, टूटफूट एवं किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति आदि के लिये निविदाकर्ता उत्तरदायित्व नहीं होगा।
 17. निविदाकार द्वारा प्रदाय वाहनों में जी.पी.एस. (GPS) उपकरण एवं Front & Rear कैमरा होना अनिवार्य है।
 18. फर्म का वैद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
-

19. अनुबंध एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगा। अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आवश्यकता पडने पर निविदाकर्ता की सहमति से 03 माह की अनुबंध में अतिरिक्त वृद्धि की जा सकती है।
 20. निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर सकारण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नर्मदापुरम म.प्र. के पास सुरक्षित रहेगा। यदि किसी फर्म द्वारा वाहन अच्छी हालत में न पाये जाने पर उक्त फर्म की निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
 21. निविदा खोलने के पूर्व वनमण्डल कार्यालय नर्मदापुरम में दिनांक 04/03/2026 को प्री-विड मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें निविदाकार को उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि निविदाकार प्री-वीड मीटिंग में उपस्थित होने हेतु सक्षम नहीं है तो उनकी ओर से उक्त कार्य हेतु निविदाकार द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति की उपस्थिति को मान्य किया जावेगा, परंतु उस व्यक्ति को निविदाकार की ओर से हस्ताक्षर किये गये अधिकार-पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 22. निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बाबत निविदाकर्ता फर्म मूल शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो रूपये 100/- के स्टाम्प पेपर नोटरी द्वारा सत्यापित कर अपलोड करें। (निविदा में संलग्न अनुलग्नक-01 अनुसार)।
 23. निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म का विवरण (निविदा में संलग्न अनुलग्नक-02 अनुसार) संलग्न करें।
 24. निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में स्वीकार की जावेगी। प्रपत्र का मूल्य रूपये 500/- वापसी योग्य नहीं है।
 25. निविदा किसी फर्म की ओर से दिये जाने की स्थिति में फर्म के प्रोपराईटर को निविदा दस्तावेजों में हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा। प्रोपराईटर की अनुपस्थिति में उसकी ओर से उक्त कार्य हेतु मुख्तार नियुक्त किये गये व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जा रहें हो, तो अधिकार पत्र की सत्यापित प्रति एवं फर्म के "इंडियन पार्टनरशिप एक्ट" के अंतर्गत पंजीकरण के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
 26. इस निविदा की सेवा कम या ज्यादा करने का तथा किसी भी समय निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास होगा।
 27. यदि निविदाकार द्वारा एक से अधिक वाहनों के लिये निविदा की जाती है, तो निविदा में सफल होने उपरांत सभी वाहन प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा। यदि निविदाकार द्वारा वाहन प्रदाय करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो निविदाकार की धरोहर राशि को जप्त कर काली सूची में दर्ज किया जावेगा।
 28. चयनित निविदाकार को कार्य आदेश जारी होने के पूर्व रूपये 500/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित कर निम्नानुसार धरोहर राशि 10,000/- प्रति वाहन का बैंक एफडीआर/डिमांड ड्राफ्ट वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नर्मदापुरम के पक्ष में जमा करना होगा। अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी।
 29. निविदाकार द्वारा सेवा की प्रस्तावित दरें समस्त कर सहित होगी।
-

क्र	कार्यालय का नाम (जहाँ वाहन प्रदाय किये जाना है)	वाहन का प्रकार	संख्या	धरोहर राशि
1	परिक्षेत्र सोहागपुर	Utility Vehicle	01	10000
2	परिक्षेत्र बनखेडी		01	10000
3	परिक्षेत्र सुखतवा		01	10000
4	परिक्षेत्र बानापुरा		01	10000
5	परिक्षेत्र इटारसी		01	10000
6	परिक्षेत्र सिवनी मालवा		01	10000
7	उडनदस्ता वनवृत्त नर्मदापुरम		01	10000

30. यदि निविदा की शर्तों एवं दिनांक में कोई संशोधन किये जाने की स्थिति निर्मित होती है तो इसकी सूचना वेब-साइट <https://mptenders.gov.in> एवं वन विभाग की वेब-साइट www.mpforest.gov.in पर ऑनलाईन की जावेगी। इस हेतु पृथक से समाचार पत्रों में संशोधन की सूचना जारी नहीं की जावेगी।
31. यदि उपरोक्त 7 वाहनो के अतिरिक्त अन्य कोई वाहन स्वीकृत होता है तो उस स्थिति में जिस वाहन की स्वीकृत दर न्यूनतम है उस निविदाकार को वह अतिरिक्त वाहन प्रदाय करने का अवसर दिया जायेगा। सहमति न होने की स्थिति में द्वितीय न्यूनतम दर वाले वाहन के निविदाकार को अवसर दिया जायेगा और इसी तरह शेष निविदाकार को अवसर दिया जायेगा।


(गौरव शर्मा)

भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल

भाग-3

निविदा की अन्य शर्तें

- 1 निविदाकर्ता किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने और अनुबंध करने से पहले किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने और अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी समय सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों के प्रति निविदाकर्ता का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा तथा निविदाकर्ता की कार्यवाही के कारणों के बारे में प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों को सूचित करने का कोई दायित्व नहीं होगा।
 - 2 सफल निविदाकर्ता को वन विभाग वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नर्मदापुरम म0प्र0 के साथ एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर सुरक्षा निधि को जप्त किया जा सकेगा।
 - 3 कार्य संतोषजनक न होने या सफल निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का पालन न करने की स्थिति में सफल निविदाकर्ता का आदेश वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम म0प्र0 द्वारा निरस्त किया जा सकता है इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जावेगी। ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम म0प्र0 के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।
 - 4 विलम्ब से कार्य करने पर नियमानुसार दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।
 - 5 भुगतान राशि से देय करों की कटौती की जावेगी।
 - 6 कार्य की स्वीकृति निविदा दरें तत्समय बाजार दर से अधिक पाये जाने की स्थिति में निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी। अतः कार्य की दरें बाजार दर से अधिक न हो।
 - 7 सफल निविदाकार द्वारा इन शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन करने पर या शासन को क्षति होने पर धरोहर की राशि राजसात कर ली जावेगी तथा प्रदायकर्ता का नाम काली सूची में दर्ज करने एवं निविदा करारनामा समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी। ऐसी स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा किसी प्रकार का राजनैतिक या अनैतिक दबाव नहीं डाला जायेगा।
 - 8 निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर सकारण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम म0प्र0 के पास सुरक्षित रहेगा। यदि कोई फर्म शून्य/प्रतिफल उद्धृत प्रतिफल या तो बेहद कम या बेहद उच्च है जो उसे भी अस्वीकार किया जा सकता है।
 - 9 निविदा दर स्वीकृत होने पर 500/- रूपये का स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया जाना होगा।
 - 10 किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति निविदा पत्र के साथ जिस व्यक्ति के नाम से निविदा भरी जा रही है उसके द्वारा हस्ताक्षरकर्ता को दिया गया मुख्तारनामा जो 1000/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर मान्य होगा, निविदा के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।
-

- 11 जो निविदा मान्य नहीं होगी उनकी सत्यंकार राशि नियमानुसार लोटा दी जावेगी।
- 12 स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- 13 तकनीकी निविदा खुलने की दिनांक को निविदाकार/प्रतिनिधि वनमण्डल कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं। यदि निविदा खुलने की दिनांक में अपरिहार्य कारणों से किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना निविदाकार को ई-मेल के माध्यम से दी जावेगी।
- 14 निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम म0प्र0 का निर्णय अंतिम होगा।
- 15 निविदा विषयक विवाद में अंतिम निर्णय सामान्य वनमण्डल नर्मदापुरम को होगा।
- 16 समस्त विवाद का न्यायालयीन क्षेत्र नर्मदापुरम होगा।
- 17 निविदाकार द्वारा सामग्री की प्रस्तावित दरें समस्त कर सहित होगी।


(गौरव शर्मा)

भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी
नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल

अनुलग्नक-1

प्रारूप : स्वघोषणा –काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र
रूपये 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है

दिनांक.....

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
(सामान्य)
नर्मदापुरम (M0प्र0)

महोदय,

दिनांक के निविदा संदर्भ संख्या के प्रत्युत्तर में घोषण करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म.....का रिकार्ड बेदाग है तथा उसके किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनिश्चित काल के लिये या किसी विशेष अवधि के लिये भ्रष्ट और धोखाधडीपूर्ण कार्यों के लिये अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

हम आगे घोषण करते हैं कि हमारी कंपनी/फर्म निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भ्रष्ट और धोखाधडीपूर्ण व्यवहार के अलावा अन्य कारणों से काली सूची में नहीं डाली गई है और न ही अयोग्य घोषित की गई है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति पूर्णतः जप्त कर ली जायेगी तथा निविदा, यदि कोई हो, को स्वीकार की गई सीमा तक रद्द कर दिया जायेगा।

निविदाकार का नाम :-
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता :-
संगठन की मुहर :-

दिनांक:
स्थान :

अनुलग्नक -2

प्रारूप : निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म का विवरण

1. निविदाकार/फर्म का नाम :
2. पिता का नाम :
3. स्थायी पता मकान क्रमांक :
- गली क्रमांक :
- स्थान :
- जिला :पिनकोड
4. कार्यालय का पता :
- गली क्रमांक :
- स्थान :
- जिला : पिनकोड
5. सत्यंकार राशि (ई.एम.डी.) का विवरण प्रकार :- एफ.डी.आर./बैंक गारंटी/.....
- संख्या :दिनांक
- राशि :
- बैंक का नाम :
6. जी.एस.टी.नम्बर :
7. मोबाईल नम्बर :
6. ई-मेल आई.डी. :

निविदाकार के
हस्ताक्षर

घोषणा

मैंपिता/पति.....
घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके लिये मैं पूरी तरह जिम्मेदार रहूंगा। मैंने निविदा दस्तावेज की सभी शर्तों, नियमों और आवश्यकताओं को पढ़ और समझ लिया है तथा उनका पालन करने की शपथ लेता हूँ।

निविदाकार के
हस्ताक्षर

अनुलग्नक -4
स्वीकृति पत्र क्रमांक

क्रं.

दिनांक.....

प्रति,

मेसर्स

(निविदाकार का नाम और पता)

विषय :

प्रिय श्री,

उपर्युक्त कार्य के लिये आपकी बोली मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से मात्रा बिल और उसमें दी गई मदवार दरों के बराबर कर ली गई है। सामग्री का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	सामग्री का नाम एवं विवरण	खरीदी जाने वाली मात्रा	स्वीकृत दर (रू.में.)
1	2	3	4

आप इस पत्र के जारी होने की तारीख से 07 दिनों के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें :-

- क. रूपये (अंको में) की निष्पादन सुरक्षा/निष्पादन सुरक्षा/निष्पादन गारंटी (रूपयेकेवल शब्दों में)। निष्पादन सुरक्षा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सावधि जमा/बैंक गारंटी की रसीद के रूप में होगी, जो वस्तुओं की आपूर्ति के तीन महीने बाद तक वैद्य होगी, के नाम पर प्रतिज्ञा।
- ख. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करें।

भवदीय

अनुलग्नक-5

अनुबंध प्रपत्र अनुबंध

यह अनुबंध दिनांक को वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम म0प्र0 (निविदाकर्ता का नाम और पता) (जिसे आगे "निविदाकर्ता" कहा जायेगा) और मेसर्स (निविदाकार का नाम और पता) जिसे आगे "निविदाकार" के बीच दूसरे पक्ष के लिये किया गया है।

जबकि निविदाकर्ता चाहता है कि निविदाकार वनमंडलाधिकारी सामान्य नर्मदापुरम म0प्र0 (अनुबंध का नाम और पहचान संख्या) (जिसे आगे "कार्य" कहा जायेगा) द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति निष्पादित करें और निविदाकर्ता ने निविदाकार द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति के लिये बोली को स्वीकार कर लिया है।

अब यह अनुबंध इस प्रकार प्रमाणित होता है :-

1. इस अनुबंध में, शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अनुबंध की शर्तों में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है और उन्हें इस अनुबंध के भाग के रूप में पढा और समझा जायेगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को किये जाने वाले भुगतानों के विचार में, जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है निविदाकार अनुबंध के प्रावधानों के साथ सभी पहलुओं में अनुरूपता में कार्य निष्पादित और पूरा करने के लिये निविदाकर्ता के साथ अनुबंध करता है।
3. निविदाकर्ता अनुबंध के प्रावधानों के तहत अनुबंध मूल्य या ऐसी अन्य राशि जो अनुबंध द्वारा निर्धारित समय और तरीके से देय हो सकती है, के निष्पादन और पूरा होने के विचार में निविदाकार को भुगतान करने के लिये अनुबंध करता है।
4. अनुबंध अवधि में निविदाकार द्वारा वन अधिनियमों का उल्लंघन करने या किसी भी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाए जाने पर निविदाकर्ता अनुबंध निरस्त कर सकेगा।
5. निम्नलिखित दस्तावेजों को इस अनुबंध के भाग के रूप में तैयार और समझा जायेगा अर्थात्
 - i. स्वीकृति पत्र
 - ii. निविदाकारों को निर्देश
 - iii. अनुलग्नक 1 से 3
 - iv. बिल की मात्रा (BOQ) और
 - v. निविदा दस्तावेज में सूचीबद्ध कोई अन्य दस्तावेज जो अनुबंध का हिस्सा है।

जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इस समझौते को लिखित रूप से पहले दिन और वर्ष में निष्पादित किया गया है।

सामान्य मुहर इस पर निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई गई थी।

उक्त द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और परिदत्त की उपस्थिति में।

वनमंडलाधिकारी
नर्मदापुरम सामान्य वनमंडल
नर्मदापुरम (म.प्र.)

निविदाकार के बाध्यकारी हस्ताक्षर